न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 1/2019 (राजसमन्द आर्डर)

1. अर्जुनलाल पिता हजारीमल जी राव, निवासी गांगाजी का खेड़ा, भीम, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)
2. शान्तिदेवी बेवा मदनलाल जी राव, निवासी गांगाजी का खेड़ा, भीम, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीम, जिला राजसमन्द (राज.)
2. प्रधानाध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय गांगाजी का खेड़ा, तहसील भीम, जिला राजसमन्द (राज.)

..... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान
भू–राजस्व अधिनियम–1956 विरूद्ध
आदेश उपखण्ड अधिकारी, भीम
दिनांक 04–03–2002 प्र.सं. 267/02

———::———

उपस्थित :– 1– श्री मुकेश तलेसरा अभिभाशक अपीलान्टगण
2– राजकीय पैरोकार

———::———

निर्णय दिनांक

21–05–2019

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 04–03–2002 से ग्राम कुण्डाल की गुआर के आराजी नंबर 8602 रकबा 18 बीघा 14 बिस्वा किस्म मगरी में से 5 बीघा भूमि राजकीय प्राथमिक विद्यालय गांगा जी का खेड़ा को भवन निर्माण हेतु आवंटित की।

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 04–03–2002 से रूश्ट होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 27–12–2018 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवंटन की कार्यवाही में अपीलान्ट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया है तथा मौका रिपोर्ट भी अपीलान्ट की अनुपस्थिति में बनायो गयी है। अपीलान्ट के वर्षो से मकान बने होकर आवंटित भूमि में से रास्ता है। उक्त आवंटन की जानकारी होते ही अपीलान्ट द्वारा सिविल न्यायालय में वाद पेश किया गया, लेकिन गांव के लोग नाजायज गिरोह बनाकर अपीलान्ट को परेशान करते हैं इसलिए अपील प्रस्तुत की जा रही है। न्यायहित में मयाद माफ की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

अपीलान्ट द्वारा दफा 96 जा.दी. का भी आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आवंटन प्रारम्भ से अवैध व विधि के विपरीत है। आवंटित भूमि से अपीलान्ट के मकान तक आने जाने का रास्ता है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि का आवंटन किया ही नहीं जा सकता है। उक्त आवंटन को चुनौती दिया जाना अपीलान्ट के लिए आवश्यक है। अतः अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

हमने उक्त दोनों आवेदन पर उभयपक्षों की बहस पर मनन किया। जहां तक दफा 5 जाब्ता मयाद के आवेदन का प्रश्न है, यह अपील करीब 16 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है तथा अपीलान्ट को उक्त आदेश की जानकारी किस प्रकार हुई इसका कोई वर्णन अपने आवेदन में नहीं किया गया है। तद्नुसार अपील बेरून मयाद होने से मयाद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य है।

जहां तक दफा 96 जा.दी. के आवेदन का प्रश्न है, उक्त भूमि विद्यालय भवन हेतु राजकीय प्रयोजनार्थ आवंटित की गयी। यदि अपीलान्ट ने उक्त भूमि से आने–जाने का कोई रास्ता बना रखा है तो इससे उसे हितबद्ध एवं आवश्यक पक्षकार नहीं माना जा सकता। तद्नुसार दफा 96 जा.दी. का आवेदन भी खारिज योग्य है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है, आवंटित भूमि राजस्व रेकार्ड में बिलानाम गैर काबिल काश्त दर्ज होकर किस्म मगरी दर्ज है तथा मौका रिपोर्ट अनुसार मौतविरान द्वारा किसी प्रकार का कोई ऐतराज नहीं होना जाहिर किया गया है। अपीलान्ट राजकीय बिलानाम मगरी भूमि से यदि आता–जाता है तो इससे उसे रास्ते का हक अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता है। अधिनस्थ न्यायालय ने बिलानाम मगरी भूमि का राजकीय विद्यालय हेतु जो आवंटन किया गया है, उसमें हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते हैं। तद्नुसार अपील गुणावगुण पर भी खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने, अपीलान्ट प्रभावित पक्षकार नहीं होने एवं सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आवंटन आदेश दिनांक 04–03–2002 यथावत रखा जाता है।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 21–05–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर